शासनादेश संख्या-9/2015/बी-2-2076/दस-2015-2/15

पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(10)/2012

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2015

विषयः-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि 162826.00 लाख की 10% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 89.85% धनराशि रूपये 146299.16 लाख (रूपये एक हजार चार सौ बासठ करोड़ निन्यानवे लाख सोलह हजार मात्र) संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	146299.16 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, चार बराबर किश्तों में (प्रथम किश्त तत्काल, द्वितीय किश्त माह अगस्त, 2015 में,तृतीय किश्त माह नवम्बर, 2015 में तथा चतुर्थ किश्त माह फरवरी, 2016 में) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-9/2015/बी-2-2076/दस-2015-2/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या 9/2015/बी-2-2076 /दस-2015-2/15 दिनांक 24 जून,2015 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2015-16 में सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर

196- जिला पंचायतों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

अनुदान संख्या-61

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
1	मेरठ	196041
2	बागपत	147908
3	गाजियाबाद	178631
4	गौतमबुध्दनगर	145275
5	बुलन्दशहर	238760
6	सहारनपुर	229690
7	मुजफ्फरनगर	262607
8	आगरा	235688
9	अलीगढ़	223984
10	हाथरस	153322
11	एटा	151420
12	कासगंज	132840
13	मैनपुरी	160490
14	मथुरा	185507
15	फिरोजाबाद	177461
16	बरेली	239931
17	बदायू	211987
18	पीलीभीत	173365
19	शाहजहापुर	205111
20	मुरादाबाद	180533
21	अमरोहा	149371

अनुदान संख्या-61

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
22	रामपुर	162685
23	बिजनौर	261875
24	लखनऊ	208623
25	रायबरेली	187409
26	अमेठी	203063
27	हरदोई	296256
28	उन्नाव	229836
29	सीतापुर	330051
30	खीरी	298889
31	फैजाबाद	195602
32	अम्बेडकरनगर	187409
33	सुल्तानपुर	199259
34	बाराबंकी	252951
35	गोण्डा	242710
36	बलरामपुर	160198
37	बहराइच	226764
38	श्रावस्ती	103287
39	इलाहाबाद	345705
40	कौशाम्बी	157272
41	फतेहपुर	203210
42	प्रतापगढ़	234956
43	वाराणसी	192383
44	चन्दौली	157857
45	गाजीपुर	253829
46	जौनपुर	318493
47	मिर्जापुर	204965
48	सोनभद्र	204234
49	सन्तरविदासनगर (भदोही)	138545
50	हमीरपुर	119234
51	बांदा	152151

अनुदान संख्या-61

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
52	चित्रकूट	128451
53	महोबा	113821
54	गोरखपुर	274018
55	महाराजगंज	196041
56	देवरिया	215791
57	कुशीनगर	245636
58	बस्ती	188580
59	संतकबीरनगर	145714
60	सिध्दार्थनगर	183898
61	आजमगढ़	321127
62	मऊ	160929
63	बलिया	223984
64	कानपुर नगर	153322
65	कानपुर देहात	182435
66	फर्रूखाबाद	152005
67	कन्नौज	146153
68	इटावा	145275
69	औरैया	141471
70	झांसी	152005
71	ललितपुर	137960
72	जालौन	136351
73	शामली	131084
74	सम्भल	163709
75	हापुड़	180533
	योग	14629916

(रुपये एक हजार चार सौ बासठ करोड निन्यानबे लाख सोलह हजार मात्र)